

प्राक्कथन

बिहार राज्य के वित्त पर इस प्रतिवेदन को संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत बिहार के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

यह प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य के वित्तीय निष्पादन का आकलन करने एवं राज्य विधायिका को वित्तीय आँकड़ों पर आधारित लेखापरीक्षा विश्लेषण के आगत को उपलब्ध कराने का प्रयोजन रखता है। यह प्रतिवेदन बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2016, पंद्रहवें वित्त आयोग प्रतिवेदन (एफ0सी0), सरकारी कार्यों के प्रबंधन हेतु नियमों एवं संहिताओं तथा बजट अनुमान 2022-23 द्वारा उल्लिखित लक्ष्यों के सापेक्ष वित्तीय प्रदर्शन का भी विश्लेषण करता है। प्रतिवेदन पाँच अध्यायों में संरचित है।

अध्याय I वित्त लेखों की लेखापरीक्षा और बिहार सरकार की राजकोषीय स्थिति (31 मार्च 2023) के आकलन के आधार पर प्रमुख राजकोषीय संग्रहों में परिवर्तन का विश्लेषण करता है।

अध्याय II सरकार के घाटे के प्रबंधन, राजस्व और पूँजीगत व्यय में रुझान, आकस्मिक मुद्दों, प्रतिबद्ध और अनिवार्य व्यय, सब्सिडी, ऋण, निवेश और उधार प्रतिरूप में गहन जानकारी प्रदान करता है। यह वर्ष 2022-23 के लिए बिहार सरकार के वित्त का लेखापरीक्षा परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है और पिछले वर्षों से संबंधित राज्य के वित्त लेखों में निहित विवरण और वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2023 तक की स्थिति के आकलन के आधार पर प्रमुख राजकोषीय संग्रह में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण करता है।

अध्याय III बजटीय नियंत्रण, व्यय पर नियंत्रण और इसके लेखांकन की जाँच करता है। यह विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है और विनियोगों का अनुदानवार विवरण देता है तथा सेवा प्रदायी विभागों द्वारा आवंटित संसाधनों के प्रबंधन के ढंग का वर्णन करता है।

अध्याय IV चालू वर्ष के दौरान लेखाओं की गुणवत्ता और निर्धारित वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं, निर्देशों का वित्तीय प्रतिवेदन संव्यवहार में राज्य सरकार के लेखाओं की गुणवत्ता और अनुपालन का एक विहंगावलोकन प्रदान करता है।

अध्याय V 'राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश' प्रदान करता है।

निष्पादन लेखापरीक्षा एवं विभिन्न विभागों के अनुपालन लेखापरीक्षा निष्कर्ष तथा सांविधिक निगमों, बोर्डों तथा सरकारी कम्पनियों के लेखापरीक्षा अवलोकन को शामिल करने वाले प्रतिवेदन एवं राजस्व प्राप्तियों पर अवलोकन को समाहित करने वाले प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किए जाते हैं।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।